मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 23-03-2018 के आश्वासन)

उच्च शिक्षा विभाग

दिनांक: 23-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
437	तारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.263) दि. 23-03-2018 (श्री सुशील कुमार तिवारी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में नियमित प्राचार्य एवं शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक स्टॉफ के रिक्त पदों को भरा जाना।	(1) जी हॉं । प्राचार्यों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) अशैक्षणिक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वर्ष 2013 में चतुर्थ श्रेणी एवं अक्टूबर 2014 में सहायक वर्ग-3 के पदों हेतु व्यापम को मांग पत्र भेजा गया, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
438	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.264) दि. 23-03-2018 (श्री सुशील कुमार तिवारी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रदेश के नवीन शासकीय महाविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को आउटसोर्स से भरे जाने हेतु आउटसोर्स नीति में संशोधन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाना।	आउटसोर्स की नीति में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
439	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.86 (प्रश्न क्रं.4135) दि. 23-03-2018 (श्री शैलेन्द्र पटेल) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रदेश में विधि महाविद्यालयों की स्थापना हेतु बी.सी.आई. से अनुमति प्राप्त करने के साथ ही बी.सी.आई. के मापदण्ड अनुसार पृथक् से भवन हेतु भूमि आवंटन एवं निर्माण।	(1) जी हॉं। बी.सी.आई. से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने, भूमि एवं भवन संबंधी व्यवस्था करने संबंधी प्रक्रिया प्रचलन में है। (2) बी.सी.आई. के मापदण्ड अनुसार पृथक् से भवन हेतु भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण की कार्यवाही हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।		
440	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.136 (प्रश्न क्रं.5126) दि. 23-03-2018 (श्री सोहनलाल बाल्मीक) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	शासकीय पेंचव्हेली स्नातकोत्तर महाविद्यालय परासिया, जिला छिंदवाड़ा के बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य की स्वीकृति दी जाना।	(1) जी हॉं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
441	अतारांकित प्रश्न सं.36 (प्रश्न क्रं.3040) दि. 23-03-2018 (श्री सुन्दरलाल तिवारी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	रीवा जिले की नगर पंचायत गुढ़ के निर्माणाधीन स्टेडियम में अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	स्टेडियम निर्माण की शिकायत पर जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
442	अतारांकित प्रश्न सं.47 (प्रश्न क्रं.3503) दि. 23-03-2018 (श्री कैलाश चावला) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुरा, जिला नीमच के बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु प्राक्कलन सहित प्राप्त प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाना।	प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
443	अतारांकित प्रश्न सं.179 (प्रश्न क्रं.5386) दि. 23-03-2018 (श्री केदारनाथ शुक्ल) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं का स्थायीकरण किया जाना।	कुल 362 कर्मचारियों की सेवाएँ स्थायीकरण योग्य हो चुकी हैं जिस पर कार्यवाही प्रचलन में हैं। शेष रहे कर्मचारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही प्रचलन में है।		
444	अतारांकित प्रश्न सं.209 (प्रश्न क्रं.5516) दि. 23-03-2018 (श्री विष्णु खत्री) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	उच्च शिक्षा संचालनालय एवं शासकीय महाविद्यालय में पदस्थ तृतीय संवर्ग के कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार सेवा भर्ती नियमों में शीघ्र संशोधन किये जाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किया जाना।	वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार तृतीय संवर्ग में भरती नियम में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 23-03-2018 के आश्वासन)

खनिज साधन विभाग

दिनांक: 23-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
445	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.413) दि. 23-03-2018 (श्री लखन पटेल) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	दमोह स्थित डायमण्ड/मायसेम सीमेंट द्वारा वर्ष 1981 से 2016 तक की अवधि में दमोह जिले के बाहर से अन्य व्यक्तियों से खरीदे गये चूना पत्थर पर देय रॉयल्टी वसूली की जाना।	(1) प्रश्नाधीन कंपनी द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में अन्य व्यक्तियों से क्रय किये गये चूना पत्थर पर देय रॉयल्टी परीक्षणाधीन है। (2) प्रश्नांश (क) में दिये उत्तर अनुसार कार्यवाही परीक्षणाधीन है।		
446	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.121 (प्रश्न क्रं.4901) दि. 23-03-2018 (श्री मानवेन्द्र सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 480 दिनांक 30.11.2017 के संदर्भ में मेसर्स डिजियाना कंपनी द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध उत्खनन किये जाने पर नियमानुसार लीज निरस्त कर रिकव्हरी की कार्यवाही की जाना।	मेसर्स डिजियाना कंपनी के विरूद्ध अवैध उत्खनन के प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। वर्तमान में यह प्रकरण विचाराधीन है।		
447	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.125 (प्रश्न क्रं.4985) दि. 23-03-2018 (श्रीमती शीला त्यागी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	रीवा संभाग में जिन कंपनियों को खनिपट्टा निश्चित समयावधि के लिए स्वीकृत किया था समयावधि समाप्त हो जाने पर नियमानुसार संबंधित कृषकों की भूमि वापस किया जाना।	इस संबंध में परीक्षण किया जा रहा है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 23-03-2018 के आश्वासन)

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

दिनांक: 23-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
448	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्र.5506) दि. 23-03-2018 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	नगर परिषद पिपलौदा, जिला रतलाम में वर्ष 2012-13 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कराये गये कार्यों में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा किये गये अंकेक्षण कार्य के अंकेक्षण प्रतिवेदन में की गई आपत्तियों का निराकरण किया जाना।	ऑडिट आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है।		
449	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्र.5332) दि. 23-03-2018 (श्री गिरीश भंडारी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	नगर पालिका परिषद नरसिंहगढ़ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किया जाना।	नगर पालिका परिषद नरसिंहगढ़ के सफाई कामगारों को छोड़कर अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।		
450	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्र.1372) दि. 23-03-2018 (श्री यादवेन्द्र सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1372, दिनांक 23.3.2017 के संदर्भ में प्रश्नकर्ता मा.सदस्य द्वारा दिनांक 25.1.2018 को प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग एवं आयुक्त, नगरीय प्रशासन को लिखे गये पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाना।	प्रश्नकर्ता सदस्य का पत्र क्रमांक 549 दिनांक 25.01.2018 संचालनालय को प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही प्रचलित है।		
451	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.33 (प्रश्न क्र.2321) दि. 23-03-2018 (श्रीमती ममता मीना) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	नगर पंचायत कुंभराज, जिला गुना में वर्ष 2006 से 2009 तक की अवधि में म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के विपरीत सामग्री खरीदी की कराई जांच में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। जिस पर अपचारी सेवकों को सुनवाई अवसर दिया जाकर निर्णय लिया जावेगा।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
452	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.37 (प्रश्न क्रं.2696) दि. 23-03-2018 (श्री दिलीप सिंह परिहार) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	नीमच जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषदों में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कराये गये विकास कार्यों की गुणवत्ता में अनियमितता किये जाने की प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	योजना की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायत पर आदेश दिनांक 28.08.2017 के द्वारा जांच समिति गठित की गयी है। जांच समिति का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।		
453	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.40 (प्रश्न क्रं.2801) दि. 23-03-2018 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रश्न क्र. 349, दिनांक 30.11.2017 के संदर्भ में जैन महावीर कीर्ति स्तम्भ भिण्ड का सर्वे क्र. 324 एवं 325 का भूखण्ड हस्तांतरण किया जाना।	जी हॉ। कार्यवाही प्रचलित है।		
454	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.48 (प्रश्न क्रं.3079) दि. 23-03-2018 (प्रो. संजीव छोटेलाल उइके) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	नगर परिषद भुआ-बिछिया अंतर्गत एन.एच. 12 राष्ट्रीय राजमार्ग में बंजारी से भंडगा तक दोनों ओर नलजल योजना की मेन पाईप लाईन बिछाने में की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	(1) शिकायत की जांच हेतु जिला कलेक्टर, मण्डला द्वारा समिति गठित की गई है। जांच दल को प्रकरण की सूक्ष्म जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश कलेक्टर, जिला मण्डला द्वारा दिये गये है। (2) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात निष्कर्ष अनुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।		
455	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.58 (प्रश्न क्रं.3553) दि. 23-03-2018 (श्री दिलीप सिंह परिहार) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	नगर परिषद नीमच में वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण में की गई अनियमितता की प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	उक्त कार्य में घटिया निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. के आदेश दिनांक 21.2.2018 से जांच समिति का गठन किया गया है। जांच की कार्यवाही प्रचलित है, जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		
456	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.118 (प्रश्न क्रं.4841) दि. 23-03-2018 (श्री नारायण त्रिपाठी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	समयपाल संवर्ग को पदोन्नति नियम में शामिल करने हेतु कार्या. अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल द्वारा की गई त्रुटि के संशोधन हेतु किये गये पत्राचार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जी हॉ, कार्यवाही विचाराधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
457	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.129 (प्रश्न क्रं.5002) दि. 23-03-2018 (इन्जी. प्रदीप लारिया) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	नगर पालिका परिषद मकरोनियां में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना मद में प्राप्त राशि से विकास कार्य विलंब से प्रारंभ किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	कार्य में विलंब का परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।		
458	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.147 (प्रश्न क्रं.5304) दि. 23-03-2018 (श्री नारायण सिंह पँवार) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	राजगढ़ जिले के नगर ब्यावरा के मुख्य मार्ग के दोनों ओर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ का निर्माण किया जाना।	प्रकरण विचाराधीन है।		
459	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.169 (प्रश्न क्रं.5410) दि. 23-03-2018 (श्री इन्दर सिंह परमार) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	नगर परिषद पानखेड़ी के तालाब को पर्यटन पार्क बनाने हेतु तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाना।	नगर परिषद पानखेड़ी द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना परीक्षणाधीन है। झीलों एवं तालाबों का संरक्षण एवं संवर्धन योजना को निरंतर रखने की स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है।		
460	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.171 (प्रश्न क्रं.5421) दि. 23-03-2018 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	नगर परिषद लांजी में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों/श्रमिकों विनियमितीकरण किया जाना।	निर्देशानुसार दैनिक श्रमिक/कर्मचारियों की जन्म से संबंधित प्रमाण-पत्र हेतु मेडिकल बोर्ड से सत्यापन की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है।		
461	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.175 (प्रश्न क्रं.5432) दि. 23-03-2018 (श्री राजेन्द्र मेश्राम) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	नागौद, जिला सतना के वार्ड क्र. 04 में सीमेंट-कांक्रीट की सीढ़ी निर्माण कार्य में की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) इस प्रकरण की जांच संभागीय संयुक्त संचालक, रीवा द्वारा की जा रही है, जांच के निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। (2) जी हॉं, जांच प्रगति पर है, जांच के निष्कर्षो के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
462	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.203 (प्रश्न क्रं.5971) दि. 23-03-2018 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	नगर पालिक निगम, कटनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों में नियमानुसार शीघ्र स्वीकृति दी जाना।	आठ नवीन पेंशन प्रकरण में नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है।		
463	अतारांकित प्रश्न सं.65 (प्रश्न क्रं.4040) दि. 23-03-2018 (श्रीमती ऊषा चौधरी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	(1) नगर परिषद गुढ़ में फर्जी श्रमिकों का नाम मस्टर रोल में शामिल कर मजदूरी राशि का भुगतान किये जाने की जांच एवं कार्यवाही। (2) नगर परिषद गुढ़ के अध्यक्ष के कार्यालय हेतु सामग्री खरीदी में की गई आर्थिक अनियमितता की जांच की जाना।	(1) जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। (2) वर्तमान में जारी कारण बताओ सूचना पत्र पर संबंधित का प्रति उत्तर प्राप्त होने पर तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।		
464	अतारांकित प्रश्न सं.103 (प्रश्न क्रं.4629) दि. 23-03-2018 (श्री मानवेन्द्र सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 5359, दिनांक 10.3.17 के संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छतरपुर द्वारा अवैध कालोनी का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर संबंधी प्रकरण पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाना।	विधि अनुसार कार्यवाही प्रचलित है।		
465	अतारांकित प्रश्न सं.132 (प्रश्न क्रं.5036) दि. 23-03-2018 (सुश्री मीना सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	जिला उमरिया नगर पालिका परिषद पाली में बी.जी.एफ. योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 के किनारे नाली निर्माण में व्याप्त अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	प्रकरण के संबंध में जांच कलेक्टर जिला उमरिया द्वारा कराई जा रही है, जांच प्रतिवेदन लंबित है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।		
466	अतारांकित प्रश्न सं.172 (प्रश्न क्रं.5349) दि. 23-03-2018 (श्री आरिफ अकील) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	राजधानी भोपाल के लिंक रोड नं. 01 मुख्य मार्ग पर निशात कालोनी स्थित आवासीय भूखण्डों का उपयोग म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की लीज डीड की शर्तों तथा भोपाल विकास योजना 2005 में निहित प्रावधानों के विरूद्ध किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	उक्त क्षेत्र में लीजडीड की शर्तों तथा भोपाल विकास योजना 2005 में निहित प्रावधानों के विपरीत किये जा रहे उपयोगों का संयुक्त स्थल निरीक्षण कर कार्यवाही हेतु विभागीय आदेश दिनांक 14.3.2018 द्वारा समिति का गठन किया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 23-03-2018 के आश्वासन)

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक: 23-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
467	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.856) दि. 23-03-2018 (श्री भारत सिंह कुशवाह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर (ग्रामीण) के अंतर्गत पारसेन जरवारा एवं महेश्वरा तालाब की मरम्मत/जीर्णोद्धार किये जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा क्र. बी.1796 का क्रियान्वयन किया जाना।	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।		
468	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.44 (प्रश्न क्रं.2904) दि. 23-03-2018 (श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में सागर राजस्व संभाग के जिलों में बुन्देलखण्ड पैकेज योजनान्तर्गत स्वीकृत स्टॉपडेम निर्माण में व्याप्त अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर छतरपुर, टीकमगढ़ एवं पन्ना जिले के आरोपी कर्मचारियों को विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं। शेष जिलों के आरोप पत्र 01 माह में जारी कर दिये जायेंगे।		
469	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.98 (प्रश्न क्रं.4438) दि. 23-03-2018 (श्री महेन्द्र सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	पन्ना जिले के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना में ग्राम कमताना से ककरा सड़क निर्माण मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार कराया जाना।	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा अनुसार कमताना से ककरा मार्ग के परिवर्तित एकरेखण पर निर्माण हेतु राज्य मद से स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में है।		
470	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.102 (प्रश्न क्रं.4466) दि. 23-03-2018 (श्री नीलांशु चतुर्वेदी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	सतना जिले में वॉटर शेड परियोजना में अनियमितता के लिए प्रथम दृष्टया आरोपियों को जारी किये गये सूचना पत्र उपरांत प्राप्त प्रति उत्तर का परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	कार्यपालन यंत्री द्वारा की गई जांच में पायी गई प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिए वॉटर-शेड डेवलपमेंट की टीम सदस्यों तथा वॉटर-शेड समिति के अध्यक्ष व सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसके उत्तर के परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
471	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.113 (प्रश्न क्र.4741) दि. 23-03-2018 (श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर के तत्कालीन संचालक द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अपात्र स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्य कराने के संबंध में प्राप्त शिकायत की प्रारंभिक जांच के आधार पर संस्थित विभागीय जांच शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर के तत्कालीन संचालक द्वारा अपात्र स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्य कराने संबंधी प्राप्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन संचालक, राज्य ग्रामीण संस्थान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जाकर दिनांक 09.04.2015 को आरोप पत्रादि जारी किए गए। इन पर अधिरोपित आरोपों की विस्तृत विभागीय जांच हेतु आदेश दिनांक 23.04.2016/09.11.2016/ 04.07.2017 से विभागीय जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।		
472	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.168 (प्रश्न क्र.5409) दि. 23-03-2018 (श्री इन्दर सिंह परमार) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	जिला शाजापुर की जनपद पंचायत शुजालपुर की ग्राम पंचायत चाकरोद में घटिया निर्माण कार्य कराने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शुजालपुर द्वारा जांच की गई। जांच प्रतिवेदन संतुष्टिप्रद न होने से शिकायत की जांच हेतु पुन: जांच दल गठित किया गया। जांचोपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।		
473	अतारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्र.1387) दि. 23-03-2018 (श्री यादवेन्द्र सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	(1) श्रीमती रमासिंह पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह पूर्व सरंपच द्वारा ग्राम पंचायत मटनवारा जनपद पंचायत उचेहरा जिला सतना के मध्यांचल ग्रामीण बैंक भटवारा में सकल खाता परिवर्तित कर एकल हस्ताक्षर से रूपये 5,44000/- निकाल कर गबन किया जाना जांच में प्रमाणित होने पर गबन की राशि वसूल किया जाना। (2) विधानसभा प्रश्न क्र. 2263 दिनांक 27.7.2017 के संदर्भ में तालाब गहरीकरण का फर्जी व्यय दर्शाकर राशि 1,99,995.00 के गबन की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही एवं गबन की राशि वसूली की जाना।	(1) प्रकरण क्रमांक 172/अ89/2017-18 धारा 92 में वसूली हेतु पंजीयन किया गया है वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) जी हॉं। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर 01 सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन चाहा गया है।		
474	अतारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्र.2261) दि. 23-03-2018 (श्री आर.डी. प्रजापति) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ागांव खुर्द जनपद पंचायत टीकमगढ़ में सुदूर सड़क निर्माण में अनियमितता की जांच में संबंधित दोषियों एवं जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	ग्राम रोजगार सहायक को सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना पत्र एवं सरपंच, सचिव को राशि की वसूली हेतु धारा 92 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत टीकमगढ़ को जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही न करने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
475	अतारांकित प्रश्न सं.42 (प्रश्न क्रं.3265) दि. 23-03-2018 (श्रीमती शकुन्तला खटीक) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	करैरा, जिला शिवपुरी में वर्ष 2011 में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना का सर्वे कार्य कराने वाले ग्राम पंचायत सचिवों (प्रगणक) को मानदेय का भुगतान किया जाना।	प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।		
476	अतारांकित प्रश्न सं.75 (प्रश्न क्रं.4312) दि. 23-03-2018 (श्री हर्ष यादव) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	कलेक्टर रीवा के प्रतिवेदन/निर्देशों की अवेहलना करने के लिए संबंधित दोषियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियारत है। समस्त कार्यवाही उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।		
477	अतारांकित प्रश्न सं.160 (प्रश्न क्रं.5317) दि. 23-03-2018 (श्री दिलीप सिंह शेखावत) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	डी.आर.डी.ए. के कर्मचारियों को म.प्र. शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार 7वें वेतनमान दिया जाना।	(1) जी हॉं। (2) म.प्र. शासन वित्त विभाग के निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।		
478	अतारांकित प्रश्न सं.176 (प्रश्न क्रं.5365) दि. 23-03-2018 (श्री सचिन यादव) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वंचित ग्राम मेहत्याखेड़ी को संपर्कता प्रदान करने हेतु कार्यवाही की जाना।	ग्राम मेहत्याखेडी हेतु स्वीकृत मार्ग को जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित समसई तालाब के डूब क्षेत्र में आने के कारण निविदा से पृथक् किया गया एवं इस ग्राम को संपर्कता प्रदान करने हेतु नवीन एकरेखण के अनुसार प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 23-03-2018 के आश्वासन)

वन विभाग

दिनांक: 23-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
479	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.1093) दि. 23-03-2018 (श्री रामनिवास रावत) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	करैरा अभ्यारण्य, जिला शिवपुरी को डिनोटिफाई किया जाना।	करैरा अभ्यारण्य, जिला शिवपुरी में सोन चिरैया नहीं पाये जाने के कारण एवं संपूर्ण अभ्यारण्य क्षेत्र गैर वन क्षेत्र होने के कारण करैरा के संपूर्ण 202.21 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को डिनोटिफाई किये जाने की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलित है।		
480	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.1787) दि. 23-03-2018 (श्री वेलसिंह भूरिया) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	धार जिले के सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित खरमौर अभ्यारण क्षेत्र के अंतर्गत 14 ग्रामों की भूमि क्रय-विक्रय किये हेतु कार्यवाही की जाना।	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.09.2017 को सम्पन्न बैठक में संबंधित कलेक्टर को अधिकारों के विनिश्चयन की कार्यवाही प्राथमिकता से पूर्ण कर अंतिम अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये थे। कार्यवाही प्रचलित है।		
481	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.45 (प्रश्न क्रं.2905) दि. 23-03-2018 (श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	जिला दमोह की हटा रेंज अंतर्गत पदस्थ रेंजर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	श्री प्रदीप कुमार शुक्ला के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच की जा रही है, जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
482	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.181 (प्रश्न क्रं.5487) दि. 23-03-2018 (श्री ओमकार सिंह मरकाम) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	पश्चिम मण्डला वन मंडल अंतर्गत 44.31 हेक्टेयर वन भूमि पर काबिज 53 अतिक्रमणकारियों को वन अधिकार पत्र वितरित किया जाना।	वन भूमि पर काबिज 53 अतिक्रमणकारियों को वन अधिकार पत्र वितरित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
483	अतारांकित प्रश्न सं.94 (प्रश्न क्रं.4533) दि. 23-03-2018 (श्रीमती ममता मीना) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	(1) जिला गुना तहसील राघौगढ़ अंतर्गत ग्राम कुदैया में होटल जंगल रिसोर्ट का संचालन भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन कर संचालित किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना। (2) जिला गुना अंतर्गत वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाना।	(1) जंगल रिसोर्ट संचालन के पूर्व भूमि स्वामी द्वारा भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति प्राप्त नहीं करने से उक्त अधिनियम के उल्लंघन हेतु कार्यवाही विचाराधीन है। (2) गुना जिला अंतर्गत वन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों से वन भूमि को मुक्त करने हेतु संबंधितों के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत बेदखली के नोटिस जारी किये गये हैं। अतिक्रमणकारियों को वन भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही प्रचलित है।		
484	अतारांकित प्रश्न सं.111 (प्रश्न क्रं.4747) दि. 23-03-2018 (श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	भिण्ड जिले के अटेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चंबल अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र से रेत का अवैध उत्खनन करते पकड़े गये वाहनों को नियमानुसार राजसात किया जाना।	शेष 18 वाहनों के राजसात की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
485	अतारांकित प्रश्न सं.123 (प्रश्न क्रं.4897) दि. 23-03-2018 (श्री जितेन्द्र गेहलोत) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	उज्जैन जिले के अंतर्गत तराना तहसील के वनपरिक्षेत्र तराना में वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना।	माह जनवरी 2016 में इन अतिक्रामकों द्वारा वन भूमि पर पुन: अतिक्रमण कर लिया गया है, जिनकी बेदखली हेतु अतिक्रमण निरोधी अभियान के तहत नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 23-03-2018 के आश्वासन)

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

दिनांक: 23-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
486	अतारांकित प्रश्न सं.102 (प्रश्न क्रं.4600) दि. 23-03-2018 (श्री अजय सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रदेश में विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदाय करने के लिए बी.पी.एल. (गरीबी रेखा) की पात्रता का बंधन हटाने की मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के पालन में संशोधित आदेश जारी किया जाना।	(1) जी हॉं । दिनांक 08.10.2017 को दिल से कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल में घोषणा की गई थी। (2) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		